न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/1863/05/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर जिला जयपुर।

प्रार्थी.....

बनाम

भोलूराम पुत्र नैनूराम उर्फ नानूराम जाति यादव अहीर निवासी ग्राम हाथौज तहसील जयपुर।

अप्रार्थी....

एकलपीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्रीमती सविता चौहान, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक अप्रार्थी के।

निर्णय

दिनांकः 21.06.2022

यह रेफरेंस जिला कलक्टर, जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 14–02–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2015–34 ग्राम हाथौज तहसील जयपुर के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंकित आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 15 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी पुजारी दामोदार व रामेश्वर पिता नाथूलाल, घीसा व नारायण पिता लक्ष्मीनारायण ब्राहम्ण साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खदुकाश्त माफीदार दर्ज था। कालान्तर में उक्त भूमि बिना किसी वैध आदेश के माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी का नाम विलोपित पुजारी श्री रामेश्वर की मृत्यु होने जरिये

नामांतरकरण संख्या 43 के शंकरलाल, भगवान सहाय, नारायण, ओमप्रकाश पिता रामेश्वर के नाम अंकित कर दी गयी शेष पुजारियों के नाम यथावत दर्ज है। पुजारियों द्वारा उक्त भूमि का विक्रय किये जाने से उक्त आराजी जरिये नामांतरकरण संख्या 390 अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गयी। विभाजन होने से उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 503 से अप्रार्थी के नाम दर्ज की गयी। वर्तमान में भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी के नाम अंकित किया जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 14–02–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

4. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी की थी, जिसे दौराने एकीकरण माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया तथा रेफरेन्स में अंकित भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह बिना किसी आधार व आदेश के किया गया है। माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। अतः विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज किए जाने योग्य है। अतः विवादित भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी ने भूमि के मूल खातेदार से क्रय की थी । तभी से अप्रार्थी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी आज भी मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे है। विवादित आराजी मूल खातेदार से क्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 390 व 503 अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया हुआ है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में भी उनके नाम दर्ज चली आ रही है।

अप्रार्थी ने विवादित भूमि में अपनी मेहनत व रूपया लगाकर कृषि योग्य बनाया है। उक्त भूमि ही अप्रार्थी के परिवार के पालन पोषण के एकमात्र जरिया है। बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज करने का निवेदन किया ।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2015-34 ग्राम हाथौज तहसील जयपुर के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंकित आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 15 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी पुजारी दामोदार व रामेश्वर पिता नाथूलाल, घीसा व नारायण पिता लक्ष्मीनारायण ब्राहम्ण साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खदुकाश्त माफीदार दर्ज था। कालान्तर में उक्त भूमि बिना किसी वैध आदेश के माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी का नाम विलोपित पुजारी श्री रामेश्वर की मृत्यु होने जरिये नामांतरकरण संख्या 43 के शंकरलाल, भगवान सहाय, नारायण, ओमप्रकाश पिता रामेश्वर के नाम अंकित कर दी गयी शेष पुजारियों के नाम यथावत दर्ज है। पुजारियों द्वारा उक्त भूमि का विक्रय किये जाने से उक्त आराजी जरिये नामांतरकरण संख्या 390 अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गयी। विभाजन होने से उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 503 से अप्रार्थी के नाम दर्ज की गयी। वर्तमान में भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है।

चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की ही खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व

अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। आराजी मूर्ति मंदिर की ही मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें।

8. अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी के खातेदारी के अंकन को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। रेफरेन्स में अंकित विवादित आराजी को पुनः 'माफी मंदिर श्री बालमुकन्द जी' के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या क्रमशः 390, 503 को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की सूचना अधिवक्तागण उभयपक्ष को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य